सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 22/2019

1. रामकरण पुत्र भौरया
2. मांग्या पुत्र भौरया
3. जगदीश पुत्र भौरया
4. चिंतामणी पुत्र सावल्या

समस्त जाति मीना निवासी रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 29.10.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामकरण वगैरा मु0नं0 181/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री प्रदीपकुमार कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

<u>निर्णय</u> दिनांकः 01.1.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोठडा द्वारा तहसीलदार दौसा जिला दौसा के यहा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई थी कि ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा मे स्थित चरागाह भूमि खसरा नं0 114 रकबा 0.10 है0 भूमि पर बाजरा की काश्त कर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2018 के द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पेनल्टी तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया गया। तहसीलदार दौसा के उक्त आदेश दिनांक 29.10.2018 के विरूद्व अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत के अवसर दिये बिना एवं अपीलांट्स की विधिवत तामील कराये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने पूर्व में बेदखली की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की और न ही पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व भौतिक बेदखली सिद्व हुए बिना ही सजा जैसा कठोर आदेश पारित कर दिया गया। पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं लिये और न ही पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिया गया और न ही कोई दस्जावेज प्रदर्श हुआ। पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट्स को दण्डित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं होना एवं इस बाबत अपीलांट्स की ओर से शपथ पत्र भी पेश कर दिये जाना व्यक्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं ... दौसा

प्रस्तुत हुए बिना व बिना पूर्व भौतिक बेदखली सिद्ध हुए बिना दिनांक 29.10.2018

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील प्रति पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने एवं बावजूद सूचना अपीलांट्स स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत खसरा नंबर 114 रकबा 0.10 है0 चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट्स के शपथ–पत्रों को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमियों के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2018 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्रों में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्रों की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 01 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official